पत्रांक :–01 / स्था॰ (प्रो॰)–10–06 / 2019 – 2163

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर।
अभियंता प्रमुख–01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।
सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड
मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।
निदेशक,
भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची।
सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 03.07.19

विषय : **जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं की वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेखन के संबंध में।**

प्रसंग : **विभागीय पत्रांक– 951 दिनांक 14.03.2019, पत्रांक–952 दिनांक 14.03.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय संकल्प, ज्ञापांक–1603 दिनांक 08.05.2019 के द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं की वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेखन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है ।

2. उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन विभागीय संकल्प के आलोक में 30 अप्रैल, 2019 तक स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदित पदाधिकारी के द्वारा भरा जाना था या भरकर समर्पित किया जाना था किन्तु लोक सभा के आम निर्वाचन, 2019, इत्यादि अन्य कारणों से यह कार्य ससमय सम्पन्न नहीं हो पाया है ।

3. विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभाग के अधिकांश अभियन्ताओं के द्वारा आधा–अधूरा बायोडाटा समर्पित किया गया है एवं कुछ अभियन्ताओं के द्वारा तो यह समर्पित ही नहीं किया गया है ।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अभियन्ताओं को यह निदेशित किया जाता है कि **दिनांक 20 जुलाई, 2019 तक** निम्नांकित निर्देशों के अनुरूप अपने निकटतम कम्प्यूटर केन्द्र अथवा कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर पर अपना बायोडाटा यथा निर्धारित प्रपत्र में समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

संबंधित मुख्य अभियन्ता इसे अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता अथवा कार्यपालक अभियन्ता के माध्यम से उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः सुनिश्चित करायेंगे एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित मुख्य अभियन्ता पर होगा ।

ससमय कार्य सम्पन्न नहीं होने की दिशा में संबंधित मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने पर विचार किया जाएगा ।

5. उक्त क्रम में आपके कार्यालय में पदस्थापित अभियंताओं के बायोडाटा अपलोड करने हेतु चरणबद्ध निर्देश निम्न प्रकार है :

Step-I : Log on to PAR system at http://49.50.67.211/PAR/biodata.asp

Step-II : Enter all the information of your bio data.

Step-III : Mobile number and e-mail ID is must to be entered.

Step-IV: In multiple rows table click on + button to add new rows and - button to remove rows.

Step-V: Click on save button.

Step-VI: It will show message "Record saved successfully" on Successful submission or will show error if it fails to submit.

6. **20 जुलाई, 2019 तक उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों के माह, जुलाई के वेतन की निकासी अवरूद्ध रहेगी ।**

उपरोक्त के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

3/07/19

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 2163 रॉंची, दिनांक :–03.07.2019

प्रतिलिपि :–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/07/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 2163 रॉंची, दिनांक :– 03.07.2019

प्रतिलिपि :– **सभी उपायुक्त, झारखण्ड** को इस अनुरोध के साथ कि कोषागार पदाधिकारी को उपर्युक्त कण्डिका–6 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

3/07/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 2163 रॉंची, दिनांक :–03.7.2019

प्रतिलिपि :– प्रबंधन निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉंची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम, रॉंची/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामलें), झारखण्ड, रॉंची/ उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/ उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड, रांची/ उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, रांची/ उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/07/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव।